

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), निवाई जिला टोंक

प्रार्थना पत्र संख्या 105/2025

भागचन्द बनाम जगदीश अन्य

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम के तामील में जारी हुए
15.12.2025	<p>पत्रावली श्री रामजीलाल जाट एड० ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। कार्यालय की रिपोर्ट होकर प्राप्त हुआ अवलोकन किया गया दावा दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>अप्रार्थी संख्या 1 ता 16 की ओर से मुलवाद में श्री रामकल्याण पूनिया एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 23.12.2025 को पेश हो।</p>	
23.12.2025	<p>वकील पक्षकारान हाजिर। पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 1 ता 16 दिनांक 07.01.2026 को पेश हो।</p>	
07.01.2026	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व प्रार्थी वकील गैर हाजिर। वादी का वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा चलने का कोई औचित्य नहीं है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अदम हाजिर व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल होकर नम्बर से कम की जाकर शामिल मुलवाद हो।</p>	